

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 61/2011

अपीलान्त
श्रीमति देवू पुत्री रूगनाथ पत्नी खंगारा
जाति कलबी निवासी जोड़वाडा तहसील
भीनमाल जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

1. वागा गोद पुत्र रूगनाथा
2. चम्पा (चोपाराम) पुत्र चेला के का०मु
- 2.1 डुंगाराम पुत्र चम्पा (चोपाराम)
- 2.2 जोराराम पुत्र चम्पा (चोपाराम)
- 2.3 फुली पुत्री चम्पा (चोपाराम)
- 2.4 सुमटी पुत्री चम्पा (चोपाराम)
- 2.5 पेपी पुत्री चम्पा (चोपाराम)
- 2.6 हुली पुत्री चम्पा (चोपाराम)
- 2.7 ओबू पुत्री चम्पा (चोपाराम)
3. देवा पुत्र मगा
4. जगीया पुत्र जामा
5. लखमा पुत्र जामा
6. लाल पुत्र भीखा
7. देवा पुत्र थाना
8. देवा पुत्र थाना
9. परबा पुत्र थाना के का०मु०
- 9.1 मालाराम पुत्र परबा
- 9.2 वरजू बेवा परबा
10. उना पुत्र वेला के का०मु
- 10.1 केसाराम पुत्र उना
- 10.2 डुंगाराम पुत्र उना
- 10.3 खेकी पुत्री उना पत्नी नवाजी जाति
कलबी निवासी तातोल
11. हरजी पुत्र वेला के का०मु०
- 11.1 ओटाराम पुत्र हरजी
- 11.2 अमराराम पुत्र हरजी
- 11.3 प्रेमराम पुत्र हरजी
- 11.4 उकी पुत्री हरजी
12. जेठाराम पुत्र पाता
13. त्रिकमा पुत्र पाता
14. सूराराम पुत्र पाता
15. पूमनाराम पुत्र पाता



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

16. जेपाराम पुत्र पाता
17. नरींगा पुत्र पाता जातिगण कलबी
निवासीगण जोड़वाडा तहसील भीनमाल
18. डूंगराराम पुत्र चम्पाराम
19. जोराराम पुत्र चम्पाराम
20. वेला पुत्र सदा
21. भीमा पुत्र सदा जातिगण कलबी
निवासीगण जोड़वाडा
22. सुमेरसिंह पुत्र विजयसिंह
23. हडमतसिंह पुत्र विजयसिंह
24. अजीतसिंह पुत्र विजयसिंह
25. बाबूसिंह पुत्र विजयसिंह
26. अनोपसिंह पुत्र विजयसिंह
27. नटवरसिंह पुत्र विजयसिंह जातिगण
राजपूत निवासीगण लूर की ढाणी
28. व्यवस्थापक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर
एण्ड जयपुर, कृषि विकास शाखा,
भीनमाल
29. सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल
30. शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास सहकारी
बैंक शाखा, भीनमाल जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री सिकन्दर अली सैय्यद, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट
श्री मधूसुदन व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोजेन्ट संख्या 29 की ओर से

:- निर्णय :-

दिनांक:- 12.9.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोजेन्ट्स के विरुद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2003 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।



राजस्थान अपील प्राधिकारी
जापुर

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट के पिता रूगनाथ एवं उनके भाई चेला व अन्य सह खातेदारान् के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। रूगनाथ के एकमात्र जायन्दा पुत्री अपीलाण्ट है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलाण्ट के काका जामा का पुत्र है, जिसे अपीलाण्ट के पिता रूगनाथा द्वारा गोद लिया है। अपीलाण्ट के पिता रूगनाथा फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रूगनाथा के नाम की भूमि अपने अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी। जिसकी अपीलाण्ट को जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा खातेदारी घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता रूगनाथा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गोद लेने के साथ ही उक्त समस्त भूमि, जो रूगनाथा के हिस्से में आती है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वसीयत की गई है। इस आधार पर अपीलाण्ट का जैर अपील वादस्थ आराजी में कोई हिस्सा नहीं होना जाहिर किया। इसके अतिरिक्त समस्त रेस्पोडेन्ट ने अपीलाण्ट के वाद को स्वीकार किया। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे का जवाबुल जवाब भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की, उनमें कुछ तथ्य शेष रहने के कारण अपीलाण्ट के आवेदन पत्र अतिरिक्त तनकीयात कायम की गई, जिन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन किए बिना ही, तनकीयात को विनिश्चित कर दिया एवं अपीलाण्ट के वाद को गलत आधारों पर खारिज किया, जो विधि विरुद्ध है। जिस गोदनामा को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वसीयतनामा बताया, वह वसीयतनामा की शर्तों को पूरा ही नहीं करता है तथा न ही उक्त तथाकथित वसीयतनामों को प्रोबेट करवाया गया है। यदि इस गोदनामा को कुछ क्षण के लिए वसीयतनामा मान भी लिया जावे, तो भी धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार प्रत्येक वसीयतनामा की तस्दीक दो स्वतन्त्र व्यक्तियों (गवाहान) द्वारा किया जाना आवश्यक है, जिनके समक्ष वसीयतनामा का निष्पादन हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार जिन दस्तावेजात् का सम्बन्धित विधि में प्रमाणिकरण आवश्यक है, वे दस्तावेज तब ही माने जावेंगे, जब दोनों प्रमाणित करने वाले गवाह न्यायालय में उपस्थित होकर यह स्पष्ट रूप से सशपथ साबित करेगा कि उसकी मौजूदगी में निष्पादनकर्ता द्वारा अपनी स्वतन्त्र ईच्छा से सोच, समझकर वसीयत का निष्पादन किया है, जिसके लिए वह अधिकृत था एवं निष्पादनकर्ता के कहने से उसने उस पर साख के रूप में हस्ताक्षर किए व दूसरे साक्षी ने भी उसकी मौजूदगी में हस्ताक्षर किए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की तथा न ही प्रकरण में कोई साक्षी उपस्थित ही हुआ। रेस्पोडेन्ट वागा एवं उसके गवाह मनसाराम, पाताराम द्वारा इस गोदनामा में वसीयत के निष्पादन को साबित ही नहीं किया। इसके अतिरिक्त भी गोदनामा पर गोद लेने वाले एवं गोद देने वाले दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में दोनों के हस्ताक्षर गोदनामा पर नहीं हैं। इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज किया है तथा मात्र प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों प्रदान किए हैं, जो विधि विरुद्ध है। इन समस्त तथ्यों पर गौर किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के वाद को खारिज किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 (एच.सी.) 2008 पेज 1,



राजस्थान अपील प्राधिकार
पाटी

आर0आर0डी0 2002 पेज 125, डी0एन0जे0 (राज.) 1990 पेज 426 तथा डी0एन0जे0 (एस0सी0) 2010 पेज 376 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में यह आपत्ति उठाई गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय नहीं किया गया है, इस बिन्दु के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं जैर अपील निर्णय का अवलोकन करने मात्र से ही यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई थी, उनका पृथक पृथक विवेचन करते हुए उन तनकीयात को विनिश्चित किया गया है। जिन बिन्दुओं को पूर्व तनकीयात में विनिश्चित किया जा चुका था, उन्हें दुबारा विनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण उनका विनिश्चय पूर्व तनकीयात अनुसार ही किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट अब गोदनामा का प्रश्नांकित करते हैं, जबकि स्वयं उनके द्वारा अपील के पद संख्या 3 में गोद लिया जाना स्वीकार किया है। विधि अनुसार जिन तथ्यों को स्वीकार किया जा चुका है, उन्हें साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलाण्ट का कथन है कि गोद लिए जाने एवं दिए जाने की रस्म नहीं हुई, यह आधारहीन तथ्य है। जिस दस्तावेज से गोद लिया गया है, उस दस्तावेज का निष्पादन वर्ष 1979 में हुआ है एवं उक्त दस्तावेज पंजीबद्ध है, जिसे किसी सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं करवाया है। गोदनामा में निष्पादक द्वारा यह अंकित किया गया है कि वागा मेरा गोदीपुत्र कहलाएगा एवं मेरी चल अचल सम्पत्ति का वही एकमात्र मालिक होगा। कोई दस्तावेज उसमें अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पढा जाता है, शीर्षक इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम तीन पार्ट में है, जिसमें धारा 213 सी पार्ट पर लागू नहीं होती है तथा वसीयतनामा को प्रोबेट कराने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त ए0आई0आर0 (एस.सी.) 1996 पेज 1253, ए0आई0आर0 (एस.सी.) 1977 पेज 74, एस0सी0सी0 (सप्ली.) 1995 पेज 294, ए0आई0आर0 (एस.सी.) 2013 पेज 532, सी0सी0सी0 2014 (4) पेज 767, ए0आई0आर0 1961 पेज 40, ए0आई0आर0 1947 पेज 15 तथा ए0आई0आर0 पटना 2006 पेज 22 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य रूप से जो विवाद का बिन्दु प्रकट हुआ है, वह उस गोदनामा को लेकर है, जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में रेस्पोंडेन्ट का नाम दर्ज हुआ है। उक्त गोदनामा रजिस्टर्ड है। अपीलाण्ट द्वारा इस गोदनामा को गोद लिए जाने की हद तक स्वीकार किया है तथा शेष तथ्यों के सम्बन्ध में आपत्ति जाहिर की है। वहीं रेस्पोंडेन्ट द्वारा गोदनामें में अंकित तथ्यों पर बल देते हुए गोदनामा मय वसीयतनामा होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार निर्मित तनकीयात का पृथक पृथक विश्लेषण करते हुए उन्हें विनिश्चित किया है। जिन तनकीयात का विश्लेषण नहीं किया जाना अपीलाण्ट ने जाहिर किया है, उन तनकीयात में

वर्णित तथ्यों को पूर्व तनकीयात में विनिश्चित किए जाने के कारण पुनः उन्ही बिन्दुओं का पृथक



राजस्व अपील प्राधिकारी
जायपुर

से विश्लेषण किया जाना आवश्यक नहीं होना मानते हुए उक्त तनकीयात को पूर्व तनकीयात के विनिश्चय अनुसार निर्णित किया है। इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 में यह प्रावधित किया गया है कि "न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा - उन बावों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों के सहित देगा।" इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 8 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 - धारा 8 व 18B, अपीलीय न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये और वाद खारिज किया। विचारण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर विशिष्ट निष्कर्ष रेकार्ड नहीं किया। आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान की पालना नहीं की-निर्णीत, आदेश में क्षेत्राधिकारिता की चुटी नहीं है तथा राजस्व मण्डल द्वारा आदेश सही पुष्ट किया।" इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 1006 में भी इसी प्रकार का सिद्धान्त अभिनिर्धारित करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Recording of findings on each issue separately is necessary," हालांकि प्रश्न यह भी प्रकट होता है कि गोदधारक को गोदनामा के जरिये वसीयतनामा निष्पादित करने का अधिकार है अथवा नहीं? एवं जो भूमि प्रदान की जा रही है, वह स्व-अर्जित है अथवा पैतृक? भूमि के स्व-अर्जित अथवा पैतृक होने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 में उक्त भूमि स्व-अर्जित प्रतीत होना आंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के विनिश्चय में मात्र संभावनाओं के आधार पर भूमि को स्व-अर्जित माना है, मात्र संभावनाओं के आधार पर बिना साक्ष्य के किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। हालांकि स्वयं अपीलाण्ट द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि जैर अपील वादस्थ भूमि रुगनाथा की पुश्तैनी भूमि हो, किन्तु न्यायालय का यह दायित्व है कि वह उन तथ्यों पर भी गौर करे, जिन तथ्यों को Hide किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण पूर्ण रूप से तनकी संख्या 1 के विनिश्चय पर निर्भर था, जो रेस्पोंडेंट के पक्ष में विनिश्चित हुई है। यदि उक्त दस्तावेज को गोदनामा के रूप में देखा जाए, तो उस पर गोदधारक के तो अंगुष्ठ निशान है, किन्तु गोद देने वाले के निशान अथवा सहमति नहीं है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने उक्त गोदनामा को वसीयतनामा बताते हुए उसे न्यायोचित होना बताया एवं इस सम्बन्ध में जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किए, उनका उद्धरण इस प्रकार है - ए0आई0आर0 (एस0सी0) 1977 पेज 74 में यह प्रतिपादित किया कि "A. Will - Execution of - Suspicious circumstances - Heavy onus in propounder of Will to explain circumstances surrounding execution of Will and establishing that document prepounded last Will and testament of testator. B. Succession Act, 1925, Section 70 - Revocation of unprivileged will - Statutory requirements of Section 70 to be complies with" इसी प्रकार एस0सी0सी0 (सप्ली.) 1995 पेज 294 में प्रतिपादित किया कि "Succession Act, 1925, Section 74 and 75 - Old people executed a deed vide which they gave part of land absolutely to respondents- For the rest of the lands and the building old people reserved their right during their lifetime to live according to their wishes in the building and appropriate entire income and profits from the properties and also to alienate or mortgage the said properties- Held Old people except part of the land given to



राजस्थान राजस्व प्राधिकारी
जयपुर

respondent in absolute terms - Thus, High Court was not right in its conclusion that the deed was a gift deed and donors were divested of the title on execution" इसके अतिरिक्त ए0आई0आर0 (एस.सी.) 2013 पेज 532 में यह प्रतिपादित किया कि "Succession Act, 1925, Section 2(h) - Transfer of Property Act, Section 122 - Document whether gift or Will - Stipulation in document that executants shall keep possession of property in question - Utilise income from property for repaying loan and their maintenance - And after life time of executants property would absolutely go to sons - Document does not create right, titles, ownership in sons when document was executed or during life time of executants

B. Registration Act, 1908 Section 17 (1)(b) Transfer of Property Act, Section 122 - Composite document - Composite document, having the characteristics of a Will as well as a gift - It may be necessary to have that document registered, otherwise that part of the document which has effect of a gift cannot be given effect to.

C. Succession Act, 1925, Section 2(h) - Transfer of property Act, 1882, Section 122 - Will and gift - Distinction of - A Will is, revocable during the lifetime of the owner of the property - In the case of gift, it comes into operation immediately - Held, the real and the only reliable test for the purpose of finding out whether the document constitutes a Will or a gift is to find out as to what exactly is the disposition which the document has made, whether it has transferred any interest in praesenti in favour of the settlees or it intended to transfer interest in favour of the settlees only on the death of the settlers - Mere reigistration of document cannot have any determining effect in arriving at a conclusion that it is not a Will.

D. Registration Act, 1908 Section 17 (1)(b) Transfer of Property Act, Section 122 - Composite document - Effect of - Part of document clearly testamentary- such part may take effect as a Will- Other part if it has the characteristics of a settlement and that part will take effect in that way - One part of the document has effect during the life time of the executants i.e. the gift and the other part disposing the property after the death of the executants - It is not unusual to register a composite document which has the characteristics of a gift as well as a Will.

E. Registration Act, 1908, Section 17 Document which may serve as evidence of gift - It falls within the sweep of Section 17 of the Registration Act.

F. Interpretation of documents - The primary rule of construction of a document is the intention of the executants, which must be found in the words used in the document- The fundamental rule to be adopted is to ascertain the intention adopted from the words employed in it" ए0आर0सी0 2015 (1) पेज 833 में प्रतिपादित किया कि "Constitution of India, 1950 Article 226 Indian Succession Act, 1925 Section 2 (f), 220, 213 Probate of Will

- Grant of - Instant case, petitioners have filed this writ petition against the order dated 16.3.2013 passed by the court of first instance and the revisional order thereto dated 2.4.2014 - A suit was decerrd in the year 1980 - After about 18 years one of the defendants to the suit applied for setting aside the said decree - Dispute relates to who is the legal representative of the deceased party for the purpose of prosecuting the suit or proceedings is determinable under Order 22 Rule 5 Civil Procedure Code - Held, it is not the case of the petitioners that respondent no. 2 has been named as an executor in the Will - Estate of the deceased is not situate in the territories of Bengal, Bombay and Madras - Respondent no. 2



राजस्थान अपील प्राधिकारी
जयपुर

is not a executor of the Will who may be compelled to obtain probate of it - Purpose of substitution is limited and is confined to the right to prosecute the litigation on behalf of the deceased rather than establishing a claim over the Estate and credits of the deceased as an heir or successor - Court below have not erred in law in permitting substitution of respondent no. 2." ए0आई0आर0 (राज.) 1976 पेज 40 में प्रतिपादित किया कि "A. Civil Procedure Code, 1908 Section 100 - Second appeal - Finding of fact - Interference- When warranted, stated.

B. Evidence Act, 1872, Section 101, 102, 103, 104 and 114 - Adoption - Burden of proof - Presumption - Position stated

C. Evidence Act, 1872, Section 32 - The words 'before the question in dispute was raised - Meaning.

D. Evidence Act, 1872 Section 76 - Contents of original document - Proving of - Whether certified copy admissible - Position stated.

E. Civil Procedure Code 1908, Order 15 Rule 10, 11, 12 and 21 - The words "required to give evidence" meaning.

F. Evidence Act 1872, Section 90 - Will - Will 30 years old - Coming from proper custody - Presumption as to due execution arises.

G. Succession Act, 1925, Section 119 - Succession - Will - Devisee took a vested interest in the property subject to the life interest given to restator's wife - A vested interest is not defeated by the death of devisee before he obtains possession and his representatives will be entitled to its benefits." ए0आई0आर0 (पटना) 2006 पेज 22 में यह प्रतिपादित किया कि "Evidence Act, 1872 Section 68 Evidence - Execution of deed - Admitting in evidence marking them as exhibit - Rejected - Contents of deed already proved, execution of deed in question admitted by plaintiff themselves - If any of attesting witness is alive, no need to prove admitted facts of execution."

हालांकि वकील रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त अवश्य ही सम्माननीय हैं तथा कुछ हद तक हस्तगत प्रकरण पर लागू भी होते हैं, किन्तु जहां तक वसीयत के परीक्षण का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज.) 1995 पेज 426 में प्रतिपादित किया कि "Indian Succession Act, 1925 - Sec. 63 (c) - How attestation of a Will is to be made by the witnesses ? - To prove due attestation of the will, is to be proved as required by law - The witnesses should see the attestator signing the will and should also the attesting witness did not state these requisites, in examination-in-chief, then it will depend on the appreciation of the evidence- In the present case as the attesting witnesses failed to prove their attestation and the will was taken to be not proved." इसी प्रकार डी0एन0जे0 (एस.सी.) 2010 पेज 376 में यह प्रतिपादित किया कि "B Evidence- Proof - Mere admission of document in evidence does not amount to its proof - Mere marking exhibit on a document does not dispense with its proof." माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त नीलीमा मुखर्जी बनाम कांता भूषण घोष (2001) 6 सी0सी0सी0 660 के मामलों में यह विधि प्रतिपादित की है कि जिस व्यक्ति द्वारा यह कहा जा रहा है कि वह किसी का दत्तक पुत्र है, उसी पर दत्तक एवं उसकी वैधता का तथ्य स्थापित करने का भार होता है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त का पैरा संख्या 5 सुसंगत है - 5. This court in Lakshman Singh Kothari V Rup Kanwar AIR 1961 SC



राजस्व अपील प्राधिकारी
जायें

1378 inter alia, held that there cannot be a valid adoption unless the adopted child is transferred from one family to another, the object being to secure due publicity. As the appellant has taken the plea that she was the adopted daughter of late Ramesh Chandra Ganguly, she must discharge the burden of the factum of adoption and its validity."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अन्य न्यायिक दृष्टान्त घीसालाल बनाम धापूबाई (2011) 2 एस0सी0सी0 298 के पैरा संख्या 26 में यह Observation किया है कि "..... If the adoption by a Hindu male becomes subject matter of challenge before the court, the party supporting the adoption has to adduce evidence to prove that the same was done with the consent of his wife. This can be done either abducing document evidencing her consent in writing or by leading evidence to show that wife had actively participated in the ceremonies of adoption with an affirmative mindset to support the action of his husband to take a son or a daughter in adoption. The presence of his wife as a spectator in the assembly of people who gather at the place where the ceremonies of adoption are performed cannot be treated as her consent. In other words, the Court cannot presume the consent of wife simply because she was present at the time of adoption. The wife's silence or back of protest on her part also cannot give rise to an Inference that she had consented to the adoption" माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में यह विधि प्रतिपादित की है कि जो व्यक्ति दत्तक पुत्र को अभिकथित करते हुए उसे वैध बताता हुआ आ रहा है, उसे ही उसके दत्तक एवं उसकी वैधता का तथ्य स्थापित करना होगा।

अब प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या हस्तगत प्रकरण में गोद की प्रक्रिया हिन्दू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 से 11 की सभी शर्तों की पूर्ति होने के कारण वैध है। इस सम्बन्ध में विधि का अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट होती है, जिसमें हिन्दू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 5 (1) हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 यह प्रावधानित करती है कि किसी हिन्दू द्वारा या निमित्त कोई भी दत्तक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् इस अध्याय में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार किए जाने के सिवाय, नहीं किया जायेगा और उक्त उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया कोई भी दत्तक शून्य होगा।

धारा 6 हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, यह प्रावधानित करती है कि "विधिमान्य दत्तक सम्बन्धी अपेक्षाएँ - कोई भी दत्तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि -

- (1) दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य न रखता हो।
- (2) दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं रखता हो।
- (3) दत्तक व्यक्ति दत्तक में लिये जाने योग्य न हो।
- (4) दत्तक इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तों के अनुवर्तन में न किया गया हो।

धारा 7, हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, यह प्रावधानित करती है कि हिन्दू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य - किसी भी हिन्दू पुरुष को, जो स्वस्थचित्त हो और अपाप्तवय न हो, यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले, परन्तु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो दत्तक की पत्नी पूर्ण एवं अन्तिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो या वह हिन्दू न रह गई हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में उसके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वह विकृत चित्त की है, तब तक वह अपनी पत्नी की सम्मति के बिना दत्तक

नहीं ले सकता।



राजस्थान अपील प्राधिकारी
जयपुर

धारा 9 (1) (2) हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, यह प्रावधानित करती है कि दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति -

1. अपत्य के माता-पिता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने की सामर्थ्य न रखता हो।
2. यदि पिता जीवित हो तो उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के उपबन्धों के अधीन यह है कि केवल उसे ही दत्तक देने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक कि माता-पिता पूर्ण और अन्तिम रूप से संसार का त्याग न कर चुके हो, या वह हिन्दू न रह गई हो, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में घोषित न कर दिया हो कि वह विकृत चित्त की है, ऐसा अधिकार माता की सम्मति के बिना प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

धारा 10 की उप-धारा (3) व (4) हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, यह प्रावधानित करती है कि व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं (iii) उसका विवाह नहीं हुआ हो, तब के सिवाय जबकि पक्षकारों पर लागू होने वाली कोई ऐसी रूढी या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो। (iv) उसने पन्द्रह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तब के सिवाय जब पक्षकारों पर लागू होने वाली कोई ऐसी रूढी या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, दत्तक लिये जाना अनुज्ञात करती हो।

धारा 11 (6) हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, यह प्रावधानित करती है कि दत्तक लिया जाने वाला अपत्य सम्पृक्त जनकों या संरक्षक द्वारा उसके प्रावधिकार के अधीन उस अपत्य के कुटुम्ब से जहां वह जन्मा हो (अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में या ऐसे पत्य की दशा में, जिसकी जनकता ज्ञात न हो, उस स्थान या कुटुम्ब से जहां वह पला हो,) उसक दत्तक लेने वाले कुटुम्ब में उसे अन्तरित करने के आवश्यक से वस्तुतः दिया और लिया जायेगा।

धारा 15, हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, यह प्रावधानित करती है कि - विधिमान्य दत्तक रद्द न किया जाएगा - कोई भी दत्तक, जो विधिमान्य किया गया है, दत्तक पिता या माता या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द न किया जा सकेगा और न दत्तक अपत्य अपनी ऐसी हैसियत का त्याग कर सकेगा और न वह कुटुम्ब में वापस जा सकेगा।

धारा 16, हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, यह प्रावधानित करती है कि - दत्तक से सम्बन्धित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा - जब कभी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी ऐसी दस्तावेज जिसमें किसी किये गये दत्तक का अभिलिखित होना तात्पर्यित हो और जो अपत्य को दत्तक देने और लेने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित हों, किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे, तब जब तक कि और यदि उसे साबित न कर दिया जावे, वह न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह दत्तक इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालना में किया गया है।

इस तरह विधि में किसी हिन्दू पुरुष द्वारा गोद लेने हेतु यह आवश्यक है कि यदि उसकी पत्नी जीवित है तथा निर्योग्यता से ग्रसित नहीं है, तो वह केवल अपनी पत्नी की सम्मति से ही गोद ले सकता है। इसी प्रकार जब कोई हिन्दू पुरुष अपनी संतान को गोद देना चाहता है, तो उसे वह अपनी जीवित पत्नी जो निर्योग्यता से ग्रसित नहीं है, तो उसकी सम्मति के बिना गोद नहीं दे सकता है। सम्मति के तथ्य को स्थापित करने हेतु शपथ पत्र में यह



राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर

कथित करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है कि उसकी सम्मति थी, बल्कि सम्मति का तथ्य स्थापित करने हेतु सकारात्मक साक्ष्य पेश करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन माननीय सर्वोच्च के निम्नानुसार न्यायिक दृष्टान्त से प्राप्त होता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त ए0आई0आर0 2011 पेज 644 घीसालाल बनाम मृतक धापूबाई के का0मु0 व अन्य के पैरा 20 में अभिनिर्धारित किया गया है कि "The term 'consent' used in the proviso to Section 7 and the Explanation appended thereto has not been defined in the Act. Therefore, while interpreting these provisions, the Court shall have to keep in view the legal position obtaining before enactment of the 1956 Act, the object of the new legislation and apply the rule of purposive interpretation and if that is done, it would be reasonable to say that the consent of wife envisaged in the proviso to Section 7 should either be in writing or effected by an affirmative/positive act voluntarily and willingly done by her. If the adoption by a Hindu male becomes subject-matter of challenge before the court, the party supporting the adoption has to adduce evidence to prove that the same was done with the consent of his wife. This can be done either by producing document evidencing her consent in writing or by leading evidence to show that wife had actively participated in the ceremonies of adoption with an affirmative mindset to support the action of the husband to take son or daughter in adoption. The presence of wife as a spectator in the assembly of people who gather at the place where the ceremonies of adoption are performed cannot be treated as her consent. In other words, the court cannot presume the consent of wife simply because she was present at the time of adoption. The wife's silence or lack of protest on her part also cannot give rise to an inference that she had consented to the adoption." हस्तगत प्रकरण में जो गोदनामा तहरीर व तकमील किया गया है, वह इन विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति करता है अथवा नहीं? यह जांच का विषय था। इस अनुरूप जिस दस्तावेज पर सम्पूर्ण प्रकरण आधारित है, वही दस्तावेज जब विधिक परीक्षण का मोहताज हो, तो बिना परीक्षण के उसे विधि मान्य दस्तावेज मानना एवं गोदनामा को वसीयतनामे की संज्ञा दिया जाना विधि सम्मत नहीं पाया जाता है।

वसीयत के लिए जो आवश्यक अपेक्षाएं हैं, वह भी हस्तगत प्रकरण में वर्णित गोदनामा पूर्ण नहीं करता है। विल को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिये उसे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से सिद्ध किया जावेगा। विल पर हस्ताक्षर करते वसीयतकर्ता को साक्षियों देखेंगी और स्वयं साक्षियों उल्लेखित करेंगी कि उन्होंने अपनी साख भी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में लिखी। यदि प्रमाणन करने वाली साक्षियों इन अपेक्षाओं को मुख्य परीक्षा के कथन में नहीं कहती है, तो फिर साक्ष्य के मूल्यांकन पर इन अपेक्षाओं पर निर्भर करना पड़ेगा। हस्तगत प्रकरण में वसीयत के लेखक को बतौर साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथाकथित वसीयत को आधार मानकर वादी का दावा खारिज कर दिया, जो गलत है। इसके अतिरिक्त यह भी सुस्थापित विधिक स्थिति है कि जब वसीयत द्वारा प्राकृतिक वारिसान को उत्तराधिकार से वंचित किया जाता है और ऐसे प्राकृतिक वारिसान द्वारा वसीयत की सदभावितकता को चुनौती दी जाती है, तो ऐसी वसीयत स्वतः ही संदिग्ध परिस्थितियों के घेरे में आ जाती है और वसीयत के लाभार्थी पर यह सिद्धि का भार आ जाता है कि वह वसीयत को सदभाविक व संदेह से परे साबित करे। हस्तगत प्रकरण में रैस्पोंडेन्ट पर यह सिद्धिभार था, कि वह तथाकथित वसीयत को संदेह से परे साबित करता,



राजस्थान अपील प्राधिकारी
भावी

किन्तु उसने विचारण न्यायालय में तथाकथित वसीयत के लेखक को अथवा सत्यापन साक्षियों को प्रस्तुत करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। जिस गोदनामा को वसीयत की संज्ञा प्रदान की गई है, उस पर न तो दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर हैं एवं न ही स्वतन्त्र साक्षियों के हस्ताक्षर हैं, जिनकी उपस्थिति में इस दस्तावेज को निष्पादित किया गया। इस दृष्टिकोण से उक्त गोदनामा को बिना परीक्षण के वसीयतनामा की संज्ञा प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त गोदनामा में लिखी इबारत भी वसीयतनामा के इबारत से भिन्न है, जिसमें कहीं भी "वसीयत" शब्द ही अंकित नहीं है। इसमें जो तथ्य अंकित किए गए हैं, वे समस्त तथ्य गोद को लेकर हैं, जिसमें गोदी पुत्र को जायन्दा पुत्र की भांति दिए गए अधिकारों का वर्णन किया गया है, किन्तु इसमें यह अंकित नहीं है कि गोद लिये जाने के पश्चात जायन्दा पुत्री के हक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों ही दृष्टिकोण से उक्त गोदनामा/तथाकथित वसीयतनामा विधिक परीक्षण का मोहताज़ है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आंशिक रूप से हस्तगत प्रकरण के तथ्यों को प्रभावित करते हैं, किन्तु जो तथ्य अथवा दस्तावेज, वाद/अपील का मुख्य आधार हो, वहीं विधिक परीक्षण का मोहताज़ हो, तो हक अधिकारों की घोषणा हेतु उक्त दस्तावेज की विधि अनुसार परीक्षा अनिवार्य हैं, जिससे पक्षकारान्, जो हस्तगत प्रकरण में गोदपुत्र के पिता की जायन्दा पुत्री हैं और जो अपने पिता की सम्पत्ति से अपने हिस्से की मांग कर रही हैं, के हकों पर कुठाराघात नहीं हो।

इसके अतिरिक्त जैर अपील वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में भी यह समुचित जांच नहीं की गई, कि उक्त भूमि पुश्तैनी है अथवा स्व-अर्जित, जबकि यह बिन्दु प्रकरण को पूर्णतः प्रभावित करता है, जिस पर स्पष्ट विवेचन किया जाना आवश्यक था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जैर अपील वादस्थ भूमि के स्व-अर्जित अथवा पैतृक होने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 में उक्त भूमि स्व-अर्जित आराजी प्रतीत होना अंकित किया है, जो मात्र संभावनाओं के आधार पर भूमि को स्व-अर्जित माना है, मात्र संभावनाओं के आधार पर बिना ठोस साक्ष्य के किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा कर न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2003 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के अनुसार प्रकरण में जांच कर, दस्तावेजात् का विधिक परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली
कैम्प जालोर